न्यायालय– प्रदीप सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला टीकमगढ (म.प्र.)

Registration No.	***RCT- 2112/2022***
Filling Date	***06-12-2022***
Filling No.	***7600/2022***
CNR No.	***MP3601-008275-2022***

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र दिगौड़ा,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....अभियोजन

–:: विरूद्ध ::–

1. देवीदास पुत्र हरदास घोष, आयु 52 वर्ष,
2. नरेंद्र पुत्र देवीदास घोष, आयु 21 वर्ष,
3. रहीश पुत्र देवीसिंह घोष, आयु 23 वर्ष,

निवासीगण ग्राम वेदउ, आरक्षी केन्द्र दिगौड़ा,
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....अभियुक्तगण

आरक्षी केन्द्र दिगौड़ा, जिला टीकमगढ़ के अपराध क्रमांक 106/2022 अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 325, 34, 506 एवं 326 भारतीय दण्ड संहिता से उद्भूत प्रकरण।

:: उपार्पण आदेश ::

{ दिनांक 15.12.2022 को पारित }

01. इस आदेश द्वारा पुलिस थाना–दिगौड़ा, जिला–टीकमगढ़ (म.प्र) के अपराध क्रमांक 106/2022, अपराध अंतर्गत धारा 294, 323, 324, 325, 34, 506 एवं 326 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोग–पत्र माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ द्वारा विचारण योग्य होने से उक्त प्रकरण को

विचारण हेतु उपार्पित किया जा रहा है।

02. अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 24.04.2022 को फरियादी आलोक घोष ने अपने पिता जगदीश घोष, बड़े भाई शिशुपाल, बहन संगीता के साथ थाना आकर रिपोर्ट किया कि उक्त दिनांक को सुबह करीब 8 बजे वह अपने पटार वाले कुंआ पर भूसा रख रहा था कि तभी रहीश, देवीदास और नरेंद्र घोष आये और बोले कि दाउ कहां गये तो उसने कहा कि ''तुम्हारे पास रहते थे, तुम्हें पता होगा'' तो इसी बात पर से अभियुक्त रहीश, देवीदास व नरेंद्र उन लोगों को मां–बहन की गाली देने लगे। जब उसने गाली देने से मना किया तो देवीदास कुल्हाड़ी लिये आया और उसे कुल्हाड़ी मारी, जिससे उसके सिर, बायें हाथ के अंगूठा एवं दाहिने कंधा में खूनी चोटें आईं थी। जब उसका पिता जगदीश उसे बचाने आया तो नरेंद्र ने कुल्हाड़ी से उनकी भी मारपीट कर दी थी, जिससे उनके सिर, दोनों घुटनों, दाहिने हाथ की कोहनी में खून निकल आया था और मूंदी चोट आई थी। तभी उसका भाई शिशुपाल आ गया तो रहीश ने उनकी भी कुल्हाड़ी से मारपीट कर दी थी, जिससे उन्हें सिर, दाहिने कंधा में खूनी चोट तथा दाहिने घुटना में छिलन जैसी चोट आई थी। उसकी बहन संगीता को नरेंद्र व देवीदास ने वहीं खेत पर उठा–उठा कर पटका था, जिससे उसे भी बायें घुटने, दाहिने कंधा व दाहिनी जांघ में मूंदी चोट आई थी। तभी त्रिवेदी घोष व केहर घोष आ गये, जिन्होंने घटना देखी व बीच–बचाव किया था। अभियुक्तगण बोले कि साले यदि थाना रिपोर्ट करने गये तो जान से खत्म कर देंगे। रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया था। विवेचना दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, संपत्ति जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया गया तथा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

03. प्रकरण के अवलोकन उपरांत पाया गया कि, अभियुक्त देवीदास, नरेंद्र और रहीश के विरूद्ध धारा 294, 323, 324, 325, 34, 506 एवं 326 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग–पत्र अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया। धारा 294, 323, 324, 325, 34, 506 एवं 326 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय प्रकृति का है। अतः प्रकरण मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष उपार्पित किया जाता है।

04. प्रकरण में अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर स्वतंत्र है। अतः अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्त आगामी पेशी दिनांक 03.01.2023 को मान्नीय सत्र न्यायाधीश महोदय टीकमगढ़ के समक्ष सुबह 11:00 बजे उपस्थित रहे।

05. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति मालखाना में जमा है। मालखाना नाजिर को आदेशित किया जाता है कि वह सम्पत्ति मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

06. प्रकरण के उपार्पण की सूचना लोक अभियोजन अधिकारी टीकमगढ़ को दी जावे।

07. प्रकरण को विधिवत तैयार कर दिनांक 03.01.2023 के पूर्व मान्नीय सत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया जावे।

मेरे उद्बोधन से टंकित।

(प्रदीप सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

PRADEEP SONI

Digitally signed by PRADEEP SONI
Date: 2022.12.15 18:19:02 +0530